

विषय:

डी-5-18/2016-4-3

कृषि विभाग

विषय

याचिका क्रमांक 193/16 द्वारा श्री ~~श्री~~ लक्ष्मी देवी
विश्व शासन व अन्य के
संबंध में ।

-----000-----

पत्रा क्रमांक 331/16 दिनांक 28/1/16
माननीय मन्त्र सचिवालय

कृपया विचारणीय पत्र का अवलोकन कर, माननीय राज्य
न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 193/16 के समक्ष
विशेष निर्णय 12/1/16 नियत दिनांक 12/1/16 को
प्रकारे अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अतः याचिका
निर्णयित हेतु प्रस्ताव प्रबंध संचालक सेवा का प्रमाण दिया
जाना प्रस्तावित है, तदनुसार प्रकरण सुनिश्चित रूप से
निर्णय किया जाना उचित होगा।

अनुसंधान

USR,

जलो मन्त्र की सेवा

1-2/16

संकेत करना चाहिए।

DS(4)

1/2

M.D (Mandi Board)

(प्रमाण पत्र)

संयुक्त संचालक (विद्वि)

5-2/16

(2-T.O)

12/1/1921
5/02/2016

11/1/16

10-10-20/16/14-3
02/02/16
28/2/16

-2-

छत्तीस २ सचिवालय

SI- 51 28/10/16/14-3

विषय:

मोदी वरुण - 193/16 कोमल लक्ष्मी
विरुद्ध मप्र शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु
प्रस्ताव

का विभाग

प्रस्ताव

No. 348 PS/FWAD
Date 29/2/16

29/2/16
16.23.2-16

कृपया अवर सचिव म.प्र. शासन, कृषि विभाग द्वारा प्राप्ता नोटशीट क्रमांक-यू.ओ. नं०-29/2016/14-3 दिनांक 04.02.2016 द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.-193/2016 श्री लक्ष्मी वाई अध्यक्ष मंडी सनावद विरुद्ध मप्र शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव चाहा गया है। जिसके लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक /बोर्ड /विधि/वी1 /इ.16/204 दिनांक 10.2.2016 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक एक की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचलिक कार्यालय, इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्ति करने हेतु प्रस्ताव एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रारूप नस्ती में संलग्न कर एकल नस्ती मूलतः प्रेषित है।

कृपया उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेतु भी महाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी कराये जाने का निवेदन किया जाना उचित होगा।

22-2-16.

संयुक्त संचालक,

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंडी वाई व उत्साह लक्ष्मी
विरुद्ध मप्र शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु
प्रस्ताव

प्रारूप अनुमोदनार्थ

DS(G)

अर 'अ' अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रमुख सचिव
Nitin mistry/GOV. notsheet
DS(G)

अथवा प्रस्ताविका

29/2/16
29/2/16

जांचक क
दिनांक 29-3-16
विभाग कृषि, म.प्र. शासन, विभाग
(शाखा-3), म.प्र. शासन, विभाग
29/2/16

1/3/16

डी-57 38/16/14-3

- 3 -
से. हा.प
का विभाग

उपवीस-2 सावित्रालय

विषय : अम. उ. 198/16 जो मिला लखीबहाल
शासना
वि. सुपु. को :-

अधिसूचना के माध्यम से
जहाँ बा. सुपु. को मिला है प्रकृ. वि. वि.
विभाग को अंकित किया जा रहा है।

3/3/16

अ. उ. 198/16
जो मिला है प्रकृ. वि. वि.
विभाग को अंकित किया जा रहा है।

DS/4

अ. उ. 198/16
जो मिला है प्रकृ. वि. वि.
विभाग को अंकित किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव

प्रतिष्ठान काउंसिल हेतु काली अंकित

प्रमुख सचिव (वि. वि.)

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

500/16
4/3/16

3/3/16

4/59

○
छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

का विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक- **5-5/88/ख(6)/14** /आदेश//

भोपाल दिनांक **2-3-16**

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सतईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रकरण क्रमांक **डब्ल्यू0पी0-193/2016 श्रीगती लक्ष्मीबाई, अध्यक्ष कृषि उपज गण्डी समिति सनावद जिला खरगोन विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य** में संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ने मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिव्यक्त पर हस्तगार करने और उन्हें स्थापित करने के लिए तथा कार्य करने आदेशन करने और उप सजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके बारे में नीचे दिये गए हैं निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये सम्स्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिवक्ता का सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जायेगी।
2. सम्स्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गए सम्स्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनमें की शासकीय अभिवक्ता का सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सम्ग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सन्मक करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता के सहयता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
6. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साथ स्वरूप काईल करना प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अन्वेष की गई है।
 - (घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
8. मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
9. जब भी कोई आदेश/निर्देश विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध प्रारंभ किया जाता है, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसे दिन या अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।
10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।

11. यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, रण प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
13. अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिकार को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये।
14. प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही दाद का निश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निष्पक्ष की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी दाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशास के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अप्रेषित करे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग, मंत्रालय भोपाल

भोपाल दिनांक: 02-3-16

क्रमांक- 5128/2016/143
प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, गोप्रो राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. संबंधित जिलाध्यक्ष, खरगोन मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इन्दौर (म.प्र.) प्रभारी अधिकारी की ओर अप्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक बैठ (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अप्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को भी आवश्यक रूप से भेजी जाये। मामले की सुनवाई तारीख 22-3-16 हेतु नियत की गई है।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग, मंत्रालय भोपाल

ALREADY PAID, POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 2922/2016

WP/193/2016

From

Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Indore

Against Admission and I.R.

Fixed for 22-02-2016

WP-DA-11

Respondent No. 2

To,

Madhya Pradesh Sate Agricultural,
Marketing Board Through
Its Director,
20, Kisan Bhawan,
Arera Hills Jail Road Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Indore 20-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 193/ 2016

Sir Madam,

I am directed to inform you that one Smt. Laxmibai has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/193/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 22-02-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your's faithfully

 21.01.16
DEPUTY REGISTRAR

Wednesday 20 January 2016 04:36 PM